न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 56/2013
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 13.08.2019

1. अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी भदीरा तहसील नदबई
2. रामअवतार पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी भदीरा तहसील नदबई
3. प्रभुदयाल पुत्र कपूरचन्द जाति वैश्य निवासी भदीरा तहसील नदबई
4. बिशम्भरदयाल पुत्र कपूरचन्द जाति वैश्य निवासी भदीरा तहसील नदबई

वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र डलुआ जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई
2. पदम(मृतक) पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

2/1 तोरन पुत्र पदम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

2/2 दीपक(मृतक) पुत्र पदम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

2/3 मछला(मृतक) वेवा पदम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

2/4 सन्ता देवी पुत्रीयान पदम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

2/5 नीलम पुत्रीयान पदम जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई

3. महेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई
4. समयसिह पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी भदीरा तहसील नदबई
5. राधे पुत्र बदनी जाति भडभूजा निवासी भदीरा तहसील नदबई
6. तेजसिंह पुत्र बदनी जाति भडभूजा निवासी भदीरा तहसील नदबई
7. प्रेम पुत्र बदनी जाति भडभूजा निवासी भदीरा तहसील नदबई
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. वादीगण द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया जो वादीगण प्रतिवादीगण वाद के लिये पूर्ण सक्षम हैं।
2. यह है कि आराजी खसरा न. हाल बन्दोबस्ती 347 रकवा 0.12 है. जो कि साविक खसरा न. 318 रकवा 10 विस्वा से भूप्रबंधक विभाग संवत 2028 द्वारा निर्मित किया गया है जिसका साबिक खसरा न. संबंत 1982 का 194/1 था जिसे मिलान क्षेत्रफल में 194

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

रकवा 15 विस्वा से निर्मित होना दर्शाया गया है। उक्त आराजी वाके ग्राम भदीरा तहसील नदबई में स्थित है।

3. यह है कि उक्त साबिक खसरा न. 194/1 पर संबंत 2028 में भूप्रबंधक प्रक्रिया से पूर्व मुताबिक जमाबंदी संबत 2019 से 2022 वादीगण के पिता बाबूलाल व कपूर चंद 2 बैल हिस्सेदार थे तथा घीसा 1 बैल रतिराम 1 बैल,बदनी कुल 2 बैल,संतोकी 1 बैल, पिसरान नत्था, मलखान पुत्र गोली 1 बैल, भम्भल 1 बैल,प्यारे 1 बैल, पिसरान दीपा, लील पुत्र चंदन 1 बैल, भजनलाल पुत्र नानगा 1 बैल कुल 12 बैल के हिस्सेदार खातेदार थे, लेकिन भूप्रबंध विभाग संबत 2028 द्वारा नया खसरा न. 318 रकवा 10 विस्वा निर्मित कर उसमें से वादीगण के पिता बाबूलाल व कपूरचन्द का हिस्सा 2 बैल यानि हिस्सा 1/6 छोडकर पूर्व इन्द्राजात के विपरीत शेष मलखान पुत्र गोली, लीले पुत्र चंदन,भजनलाल पुत्र नानगा, वदनी पुत्र नत्था,भम्भल, प्यारे पिसरान दीपा के स्थान पर मुताबिक वयनामा 16.11.1971 प्रतिवादी सं. 1 का नाम हिस्सा 1/5 दर्ज कर लिया, तथा मुताबिक वयंनामा व जमाबंदी संबंत 2047 के तहत मलखान,लीले व भजनलाल के वारिसों किशन,तारा पिसरान देवीराम जियालाल पुत्र दर्याव से हिस्सा 3/5 प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 ने अपने नाम करा लिया है, तथा शेष 1/5 हिस्सा बदनी प्रतिवादी गण सं. 5,6व 7 के पिता के नाम दर्ज कर दिया, जबकि उक्त हिस्से के प्रतिवादी गण हिस्सेदार हकदार नहीं थे तथा इन्द्राजात व मुकाबले बादीगण वातिल व बेअसर है, लिहाजा वादीगण उक्त आराजी वर्णित मद सं. 2 वाद पत्र के हाल खसरा न. 347 रकवा 0.12 है. वाके ग्राम भदीरा पर भूप्रबध विभाग संबत 2028 से पूर्व के मुताबिक 2 बैल यानि 1/6 हिस्सा के खातेदार काश्तकार मुताबिक हिस्सा बराबर के घोषित करा पाने के अधिकारी हैं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी गण सं. 2 लगायत 4 के नाम तथा 1/6 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम तथा हिस्सा 1/6 प्रतिवादीगण सं. 5, 6, व 7 के नाम मुताबिक हिस्सा दर्ज किया जावे तथा वर्तमान इन्द्राजात व हक प्रतिवादीगण कलमजन किया जावे।

4. यह है कि वादीगण उक्त आराजी के अपने हिस्सा 1/6 हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज हैं, लेकिन प्रतिवादीगण के नाम हो रहे गलत इन्द्राजात के नाम पर प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 ने वादीगण को बेदखल करने रहन व मुंतकिल करने तथा निर्माण कार्य करने की धमकी दिनांक 16.04.2013 को दी है, जिसका कोई कानूनी हक प्रतिवादीगण को हासिल नहीं है। अगर प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद न हो सकेगी। वादी वजह वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी करा पाने के अधिकारी हैं कि वे आराजी की वर्णित मद सं. 2 वाद पत्र वाके ग्राम भदीरा से वादीगण के हिस्से 1/6 से वेदखल नहीं करे, रहनवय मुंतकिल नहीं करे निर्माण कार्य नहीं करे रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

5. यह है कि बिनायमुखायस्मत योमें धमकी बेदखली दिनांक 16.04.2013 से वादीगण को वादपत्र प्रस्तुत करने का हक हासिल हुआ।

6. अतः प्रार्थना है कि आराजी वर्णित मद सं. 2 वादपत्र के खसरा न. 347 रकवा 0.12 है. वाके ग्राम भदीरा पर वादीगण को 1/6 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, शेष इन्द्राजात व हक प्रतिवादी सं. 5 से 7 हिस्सा 1/6 वाहिस्सा दर्ज किया जावे, तथा वर्तमान इन्द्राजात व हक प्रतिवादीगण कलमजन किये जावें, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। कि वे वादीगण की उनके हिस्से की आराजी वाके ग्राम भदीरा से बेदखल न करे न ही किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत नहीं करे।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

जे रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 4 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुये शेष प्रतिवादी सं. 5 लगायत 8 के खिलाफ बाबजूद तामील अनुपस्थित होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 ने अपना जबाब दावा पेश किया। जो निम्न प्रकार है :–

1. यह है कि दावे की मद सं. 1 का कथन व वजह लाइल्मी स्वीकार नहीं है।
2. यह है कि दावा की मद सं. 2 का कथन जिस प्रकार वर्णित है जो स्वीकार नही है।
3. यह है कि दावे के मद सं. 3 व गलत है, क्योंकि आराजी साबिक खसरा न. 318 व हाल खसरा न. 347 रकवा 0.72 है. में प्रतिवादी सं. 1 शुरू से ही हिस्सेदार रहा है, व अपने हिस्से की भूमि पर आजतक काबिज चला आ रहा है। आराजी के साबिक खसरा न. 318 रकवा 10 विस्वा का 3/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 ने आराजी के तत्कालीन खातेदार मलखान,लीलाधर,हरिकिशन,ताराचन्द व जियालाल सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.05.1993 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है व क्रयशुदा भूमि पर पक्का मकान बनाकर उसमें रहते आये हैं, व आज भी रिहायश के काम में आ रहा है। प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 ने मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड विक्रेतागण के हिस्सा 3/5 को क्रय किया था, प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 ने भूमि कीमतन क्रय की थी। जिस पर वादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की। अब रंजिशन गलत दावा पेश किया है, जो वादी गण के काबिले खारिज के है।
4. यह है कि दावा की मद सं. 4 का कथन गलत होने से स्वीकार नहीं है। वादीगण का आराजी के हिस्सा 1/6 पर कभी कब्जा नही रहा है और न ही आज कोई भी कब्जा है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं, और 50 साल से आबादी के काम में ली जा रही है, तथा पूरी भूमि पर मकानात बने हुये हैं, वादीगण एक अरसे पूर्व गांव छोडकर नदबई आ बसे हैं और नदबई में मकान बना रहवास करते हैं। प्रतिवादी गण अपने हिस्से व क्रयशुदा भूमि पर काबिज हैं। वादी गण का आराजी पर कब्जा नही है जिससे प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के बेदखली की धमकी देने का प्रश्न हीं पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी गण 20 साल से अपनी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है, पुख्ता मकान बने हुये हैं, ऐसी सूरत में वादी गण खिलाफ प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 किसी प्रकार की कोई हुक्मइम्तनाई दबामी करा पाने के अधिकारी नही हैं।
5. यह है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को दिनाक 16.04.2013 को अन्य किसी तिथि को कोई धमकी नहीं दी गयी, शेष कथन कानूनी व गैरअदालत है।
6. यह है कि आराजी के बाबत पहले भी दावा होकर दिनाक 06.03.2000 को न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई से खारिज हो चुका है एवं दिनांक 13.08.2002 को न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर में पक्षकारान का राजीनामा होकर अपील का निर्णय दिनांक 29.08.2002 को हो चुका है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी भूमि पर पुनः दावा मेंटीनेबल नहीं है।
7. यह है कि प्रतिवादीगण का जबाब दावा स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वादीगण के वाद पत्र एवं प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के जबाब दावा के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित तनकीयां कायम की गयीं। जो इस प्रकार है :–

1. आया वादी खसरा न. 347 में वादीगण 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी 5 लगायत 7 का 1/6 हिस्सा किया जावे, तथा वर्तमान इन्द्राज कलमजन किया जावे। – जिम्मेवादीगण

उप खण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned by CamScanner

आया प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वह वादीगण को बेदखल न करे व मदाखलत व मजामहत न करे।

3. आया प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 ने विवादित आराजी का 3/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 25.05.1993 को क्रय किया है। अतः वयनामा मनसुख कराये बगैर दावा मेंटीनेंस नहीं है। दावा खारिज किया जावे।

जिम्मेवादी

जिम्मेप्रतिवादीगण

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संबत 2069 लगायत 2072 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्र 2060 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 2, नकल भूप्रबंध विभाग संबत 2028 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 3, नकल जमांबदी संबत 2047 से 50 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 4, नकल जमांबदी संबंत 2019 से 22 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 5,लगायत 7, नकल मिलान क्षेत्रफल 2028 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 8, नकल वयनामा असल दिनांक 13.09.1992 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 9, नकल नामांतकरण पंजिका वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 10, नकल मिलान क्षेत्रफल 2028 वाके ग्राम भदीरा प्रदर्श 11–12 पेश किये गये, तथा मौखिक बयान के रूप में अशोक कुमार पुत्र बाबूलाल जाति वैश्य निवासी भदीरा, भोला पुत्र जग्गो जाति जाट निवासी भदीरा, प्रेमसिंह पुत्र बदनी जाति भडभूजां निवासी भदीरा पेश किये गये। इनसे वकील प्रतिवादी द्वारा अशोक कुमार और प्रेमसिंह से जिरह की गयी।

वकील प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजों के रूप में नकल राजीनामा अपील राजस्व अपील आरएए भरतपुर न. 33/2000 दिनांक 13.08.2002 DW1 नकल आदेश दिनाक 14.08.2002 न्यायालय आरएए भरतपुर अपील सं. 33/2000 उनवान रतिराम बनाम भम्भल DW2 नकल डिक्री व फैसला दिनांक 06.03.2000 उनवान रतिराम बनाम भम्भल मुकदमा सं. 489/1992 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई DW3 नकल वयनामा तारीख 25.05.1993 DW4 पेश किये गये, तथा मौखिक बयान के रूप में सोहनलाल पुत्र डलुआ जाति जाट निवासी भदीरा एवं श्यामलाल पुत्र हरिराम जाति जाटव निवासी भदीरा के पेश किये गये। जिनसे वकील वादी द्वारा जिरह की गयी।

पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गयी। तथा बहस अन्तिम में विद्वान वकीलो द्वारा तर्क दिये गये।

वादीगण की ओर से श्री फूलसिंह एण्डवाकेट द्वारा बताया कि वादीगण के पिता बाबूलाल द्वारा विवादित आराजी के बन्दोबस्त 2028 के पूर्व साबिक खसरा नं. 194 से 3 बिस्वा भूमि दिनांक 14.09.1962 को जरिये वयनामा क्रय की थी जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2019 लगायत 2022 में है जिससे सिद्ध करने के लिये वादीगण द्वारा रिकार्ड पेश किया है जिसका साक्ष्य प्रदर्श 1 लगायत 9 कराया गया है वादीगण के वकील द्वारा अपनी बहस में कहा कि विवादित आराजी में वादीगण का 1/6 हिस्सा है लेकिन दौराने बन्दोबस्त 2028 वादीगण का हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज हो गया। विवादित आराजी में वादीगण का 1/6, प्रतिवादीण 2 लगायत 4 का 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 व प्रतिवादी 5 लगायत 7 का 1/6 हिस्सा है वादीगण के पक्ष में मौखिक साक्ष्य हेतु गवाह पेश किये हैं। वादीगण अधिवक्ता ने आगे कहा कि वादपत्र के मद संख्या 2 में साबिक खसरा नं. 194/1 गलत अंकित हो गया है। 194/1 की बजाय 194 माना जावे एवं तर्क दिया कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 209 में प्रावधान है कि बिना वादपत्र में संशोधन के न्याय हित में रिकार्ड के आधार पर दावा डिक्री किया जा सकता है जिसके समर्थन में नजीर पेश की हैं। आगे अपनी बहस में कहा कि प्रतिवादीगण के द्वारा अपने जवाब में अंकित किया है कि उक्त विवादित आराजी बाबत् पूर्व में भी प्रकरण निर्णित हो चुका है। अतः विवादित आराजी पर समान आराजी व पक्षकार होने के कारण रेसज्यूडीकेटा लागू होता है। वादीगण वकील ने अपने तर्क में कहा कि पूर्व प्रकरण में अन्य व्यक्तियों के द्वारा दावा पेश किया गया था अतः रेसज्यूडीकेटा लागू नहीं

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के द्वारा बयान के बाद दस्तावेज पेश किये है जो कि ग्राहय नहीं है। इस संबंध आर टी 2013 (2) पेज 1392 लालचंद बाजीगर बनाम गुरुदयाल एण्ड अन्य वगै. पेश की। में दावा को मुताबिक प्रार्थना डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार द्वारा बहस की गई एवं अपनी बहस में कहा कि वाद पत्र में संशोधन किया जाना चाहिये था। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी में दिनाक 14-09-1963 कर जरिये बयनामा हिस्सा क्रय किया गया था एवं पूर्व में भी विवादित आराजी बाबत् न्यायालय में प्रकरण निर्णित हो चुका है अतः प्रकरण में रेसज्यूडीकेटा लागू होने के कारण काबिले खारिजी है विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जे काश्त व मकानात बने हुए हैं साथ ही प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में बताया कि मकान आदि बने हुए होने के कारण आबादी भूमि पर राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है अतः दावा वादीगण खारिज किया जावे।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी रिबीटल में पूर्व में बहस को दोहराया एवं कृषि भूमि में मकान आदि बने होने से आबादी मानकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार न होकर राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अपने तर्क के पक्ष में नजीर आर आर टी 2009 (1) पेज 251 प्रेमवती बनाम देवीराम एण्ड अन्य वगै पेश की गई।

हमने दोनो विद्वान वकीलो की बहस को सुना गया तथा मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, तथा निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार है :-

1. आया वादी खसरा न. 347 में वादीगण 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण सं. 2 लगायत 4 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी 5 लगायत 7 का 1/6 हिस्सा किया जावे, तथा वर्तमान इन्द्राज कलमजन किया जावे-- उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था वादी गण द्वारा अपने वादपत्र की मद सं. 3 में विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा का खातेदार अधिकार बताया है। इस बाबत हाल जमाबंदी के खसरा न. 347 पेश की जिसके साबिक खसरा न. 2060 व 2028 क्रमशः 318 व 194 बाबत मिलान क्षेत्रफल संवंत 2028,2060, व जमांबदी संवत 2019-22 प्रदर्श 5 लगायत 7 पेश किया गया। विवादित आराजी में वादीगण के पूर्वज बाबूलाल व कपूरचन्द की खातेदार बन्दोबस्त 2028 पूर्व बतायी है तथा प्रतिवादी वकील ने अपने जबाब में वादीगण का हिस्सा व हक होने से इन्कार किया है, एवं बताया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी गण का 3/5 हिस्सा जरिये बयनामा दिनांक 25 05.1993 को प्राप्त किया है। प्रतिवादी गण द्वारा विवादित आरजी के बन्दोबस्त संवंत 2028 पूर्व साविक खसरा न. 194/1 के अंकित करने पर आपत्ति दौराने बहस दर्ज करवायी थी। वादी गण द्वारा अपने वादपत्र में विवादित आराजी का साबिक खसरा न. 194/1 वर्णित है। जबकि विवादित आराजी का साबिक खसरा न. 194 है। वादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया है कि वाद पत्र की मद सं. 2 में 194/1 व 194 दोनो अंकित किये है। इस बाबत् राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 209 के प्रावधान एवं बिना वादपत्र में संशोधन के न्याय हित में न्यायालय द्वारा न्याय प्रदान किये जा सकते हैं। इस बाबत् नजीर आर आर टी 2002 (1) पेज 129 अलादीन एण्ड अन्य बनाम राजस्व मंडल एवं अन्य वगै. तथा आर आर टी 2003 (1) पेज 421 मंगलनाथ बनाम केशरराम पेश की है। वादीगण ने अपनी तनकी सिद्ध करने बाबत निम्न नजीर पेश की (1) आर आर टी 2013-14 पेज 2013 किशन लाल बनाम रतनलाल (2) आर आर डी 2000 पेज 332 मनोहरी बनाम घीसाराम पेश की है। जो प्रकरण पर पूर्णत चस्पा होती है। प्रतिवादी वकील द्वारा वादीगण के 1/6 के रिकॉर्ड को गलत सिद्ध करने बाबत् कोई रिकॉर्ड पेश किया है न ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 209 के प्रावधानों के अंतर्गत

5

उप खण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

बिना वादपत्र में संशोधन के न्याय करने के विरोधस्वरूप कोई नजीर पेश नही की है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में एवं प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

2. आया प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वह वादीगण को बेदखल न करे व मदाखलत व मजामहत न करे। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण का था जो तनकी सं. 1 के निर्णय के वादी के पक्ष में हाने के कारण उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 ने विवादित आराजी का 3/5 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 25.05.1993 को क्रय किया है। अतः वयनामा मनसुख कराये वगैर दावा मेंटीनेंस नहीं है। दावा खारिज किया जावे। :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी गण का था। प्रतिवादी गण वयनामा के विक्रेता गण के वक्त विक्रय 3/5 हिस्सा खातेदारी अधिकारों को सिद्ध करने में विफल रहे हैं। अतः प्रतिवादीगण का वक्त विकय विक्रेता के हक तक ही विवादित आराजी में हक निहित है।

अतः तनकीबार निर्णय उपरांत आदेश है कि विवादित आराजी वादपत्र की मद सं. 2 के अनुसार दावा वादीगण काबिल डिक्री के है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न. 347 रकवा 0.12 है. वाके ग्राम भदीरा पर वादीगण को 1/6 हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार शेष इन्द्राजात व हक प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 हिस्सा 1/2, प्रतिवादी सं. 1 हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी गण सं. 5 लगायत 7 हिस्सा 1/6 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान इन्द्राजात व हक प्रतिवादी गण कलमजन किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.08.19 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

Scanned by CamScanner